15-20 लाख वाहन हर रोज राजधानी में आते-जाते हैं

नशे की तस्करी करने वालों का ग्राफ बढ़ा

पूरे साल आरोपियों के पास से 51.58 किलोग्राम हेरोइन, चरस 58.45 किलो, अफीम 19.65, म्यांऊ-म्यांऊ कोकीन 1.48 किलो बरादम किया।

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अपनी सालाना प्रेसवार्ता में ड्रग्स के मामलों में वृद्धि होने की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस ने आंकड़ों में बताया कि नशे का धंधा करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि पिछले साल यानि 2016 में 289 के मुकाबले 2017 में 362 केस दर्ज हुए। इस वर्ष पुलिस ने नशे का धंधा करने वाले 491 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में गांजा, हेरोइन, कोकीन, चरस और म्यांऊ-म्यांऊ जैसी ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने यह जरूर कहा कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए उनकी कोशिश पूरी शिद्दत से जारी है। पुलिस के अनुसार जहां नशे का धंधा बढ़ा हैं, वहीं पुलिस ने पिछले साल के मुकाबले 32.70 फीसदी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने पूरे साल आरोपियों के पास से 51.58 किलोग्राम हेरोइन, चरस 58.45 किलो, अफीम 19.65, म्यांऊ-म्यांऊ कोकीन 1.48 किलो और गांजा करीब 2415 किलोग्राम बरामद किया है। हेरोइन की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 108.97 फीसदी ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। इस तरह नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में पुलिस की सक्रिया और बढ़ी है। दूसरी तरफ, अवैध शराब बेचने के मामलों पर ध्यान दिया जाए तो यहां भी हमारी कोशिशें बेहतर हुई हैं। इस वर्ष दिल्ली में करीब 2688 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल 2284 मामले ही दर्ज हुए थे। इनमें 2753 लोगों को गिरफ्तार कर 4 लाख 67 हजार 359 बोतलें शराब की बरामद की गई। वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के लिए 24,770 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में आई कमी

दिल्ली पुलिस महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर भी सालभर मुस्तैदी से काम में जुटी रही। नतीजा यह रहा कि बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई। बीते साल भी सीनियर सिटीजन की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्रमुखताओं में शुमार रहा। दिल्ली पुलिस लगातार सीनियार सिटीजन की सुरक्षा के प्रति मुस्तैदी से जमी रही, जिसके तहत बीते साल लोकल पुलिस ने 30,838 बुजुर्गों के सिक्युरिटी ऑडिट किये गए। वहीं बीट अफसरों ने पांच लाख 58 हजार 587 बुजुर्गों से संपर्क किया, जबकि 3,92,328 बुजुर्ग नागरिकों से टेलीफोन के ज़रिये संपर्क किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस योजन के तहत हाल ही में 4,481 सीनियर सिटीजन को अपनी लिस्ट में शामिल किया है।

अपने ही लूटते रहे अस्मत

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की मानें तो दिल्ली में अब भी महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। सबसे शर्मसार करने वाली बात यह सामने आई है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी सबसे दागदार दोस्त और रिश्तेदार ही रहे। इसके अलावा चाचा, मामा, चचेरा भाई, फूफा समेत सौतेले पिता तक शामिल रहे, जिन्होंने अपनों की आबरू में दाग लगाया। आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 के मुकाबले 2017 में महिलाओं के प्रति महज 0.73 की रेप की घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2016 में जहां पर रेप के 2064 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2017 में रेप के कुल 2049 मामले दर्ज हुए हैं7 पिछले साल के तुलना में करीब 18.88 फीसदी और आई टीचिंग के मामले में लगभग 30.54 फीसदी की कमी आई है। सबसे अधिक रेप की वारदात को दोस्त और परिवारिक के करीबियों ने अंजाम दिया। आंकड़े बताते हैं कि 38.99 फीसदी रेप की घटना को दोस्त और उनके फैमली फ्रेंड ने अंजाम दिया, जबकि 19.08 फीसदी वारदात की घटना को रिश्तेदारों ने अंजाम दिया। रेप की घटना में साथ में काम करने वाले साथी या वर्कर की संख्या महज 3.86 फीसदी रही। हालांकि इस बार रेप की वारदात में अज्ञात लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार करीब साढ़े 20 फीसदी रेप के मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। अन्य अज्ञात लोगों की बात करें तो उनके खिलाफ रेप का महज 3.37 फीसदी ही मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि पिछले वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में भले ही रेप के मामले कम दर्ज हुए लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की संख्या में इजाफा हुआ है।

दिल्ली में गोल गप्पा खाने से लेकर पानी भरने तक में मर्डर

नई दिल्ली। कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन अगर दिल्ली में होने वाले अपराधों पर नजर डालें तो पता लगता है कि यहां लोग जरा-जरा-सी बात पर हत्या जैसे अपराध को अंजाम दे डालते हैं। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामलों का खुलासा करने के साथ ही इन्हें अंजाम देने के पीछे कारणों का जो निचोड़ निकला है वह बेहद चौंकाने वाला है। दिल्ली में होने वाली हत्याओं में ज्यादातर मामले रंजिश और बदले में किये जाते हैं। उसके बाद गुस्से में हत्या किया जाना भी शामिल है। हत्या के केस के मामलों का विश्लेषण करने पर पता लगता है कि दिल्ली में छोटी-छोटी बातों पर हत्या कर दिए गए। कुल दर्ज हत्याओं के मामलों में से सिर्फ 10.82 प्रतिशत की अपराध से जुड़े होते हैं। बदरपुर में नाई की दुकान पर कंघा करने को लेकर हत्या हुई, रोहिणी साऊथ में सोने की जगह को लेकर हत्या कर दी गई। कश्मीरी गेट इलाके में गाली-गलौच करने पर हत्या हुई। बिंदापुर में पानी भरने को लेकर हत्या कर दी गई। शाहबाद डेरी इलाके में होली के मौके पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर हत्या हो गई। हद तो यह है कि मंगोलपुरी में पहले गोल गप्पा खाने को लेकर हत्या कर दी गई।

स्मिथ एंड सनाइडर को मिली एनएसआईसी क्रिसिल का एमएसई 4 रेटिंग

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

स्मिथ एंड सनाइडर फैसेलिटी मैनेजमेंट कम्पनी को उच्चप्रदर्शन क्षमता एवं औसत से अधिक वित्तीय क्षमता के लिए एनएसआईसी - क्रिसिल ने सेर्टिफिकेशन तथा एमएसई 4' रेटिंग से सम्मानित किया। क्रिसिल कारोबारों की वित्तीय क्षमता एवं स्थिरता का मूल्यांकन करता है। नकद प्रवाह की स्थिरता कारोबार की क्षमता पर कारोबार प्रबन्धन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।हालांकि इस रेटिंग के लिए कई कारकों पर ध्यान दिया जाता है, कम्पनी की स्थायी फाइनेन्स पैदा करने की क्षमता निश्चित रूप से उच्च क्रिसिल रेटिंग पाने मे मदद करती है।

स्मिथ एंड सनाइडर फैसेलिटी मैनेजमेंट भारत की प्रमुख हाउसकीपिंग एवं फैसेलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। कम्पनी अपनी विश्वस्तरीय सेवाएं उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न संगठनों,कंपनियों को सेवाएं दे रही हैं। कंपनी उत्तरी भारत में अग्रणी कंपनियों, विभिन्न कॉर्पोरेट कार्यालय, पार्क होटल, स्कूलों आदि को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। क्रिसिल बड़ी कम्पनियों के लिए भारत की पहली और सबसे बड़ी रेटिंग एजेन्सी है जिसने 1987 में रेटिंग में अपनी गतिविधियों की शुरूआत की। यह विश्वस्तरीय विश्लेषणात्मक कम्पनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम एवं नीतिगत परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह भारत में क्रेडिट रेटिंग अवधारणा में अग्रणी है और अब तक देश में सबसे ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा संगठनों को रेटिंग दे चुकी है। भारत में सुविधा प्रबंधन सेवा उद्योग में पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि देखी गई है और रियल एस्टेट और संपत्ति प्रबंधन बाजार की अपेक्षित नवीनीकरण के कारण अगले चार वर्षों में इस क्षेत्र की स्थिर वृद्धि की उम्मीद है।

क्रिसिल जैसे संगठन द्वारा परिभाषित रेटिंग और प्रमाणीकरण, भारत में एसएमई की और स्थिरता और विकास की क्षमता के मापन में सहायता करता है। प्रतिस्पर्धी हाउसकीपिंग एवं फैसेलिटी मैनेजमेंट उद्योग में, स्मिथ एंड सनाइडर ने कड़ाई से समर्थन किया है और विश्वास किया है कि प्रदर्शन क्षमता, ग्राहक की संतुष्टि के साथ वित्तीय ताकत हमारी शीर्ष प्राथमिकताएं हैं।

शिमला-शोघी के बीच जॉय राइड ट्रेन का शुभारम्भ

एजेंसी ■ नई दिल्ली

विकास

शिमला की मेयर और लोक सभा सांसद के साथ उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने शिमला-शोघी के बीच जॉय राइड ट्रेन का शुभारम्भ किया।

बेहतर यात्रा और पर्यटन अवसर उपलब्ध कराते हुए शिमला की मेयर कुसुम सदरेट, सांसद वीरेन्द्र कश्यप और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विश्वेश चौबे ने गुरूवार को हिमाचल प्रदेश के दो बड़े पर्यटक स्थलों शिमला और शोघी के बीच एक जॉय राइड ट्रेन संख्या 52448-52447 को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमहापौर राकेश शर्मा, दिनेश दत्त, राज्य अध्यक्ष, भाजपा सहित अंबाला मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीसी शर्मा और उत्तर रेलवे के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कालका-शिमला रेलवे अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित की गयी नैरोगेज की एक पुरानी और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसको मूर्त रूप देने के लिए इंजीनियरिंग विकास के एक बेहतर कौशल की आवश्यकता थी। हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं और विषम जलवायु के चलते इस रेलवे को तैयार होने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा। 100 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन कालका और शिमला शहरों को जोड़ती है। कालका तलहटी वाले क्षेत्र में स्थित है जबकि तत्कालीन ब्रिटिश शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजधानी शिमला हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में यह रेलगाडी 11 जनवरी से 15 फरवरी तक सीमित अवधि के लिए शिमला और शोघी के बीच 18 किलोमीटर की दूरी के लिए यात्रा सुविधा उपलब्ध करायेगी। रेलगाड़ी संख्या 52448 शिमला से दोपहर 12.45 बजे प्रस्थान करके उसी दिन दोपहर 1.50 बजे शोगी पहुंचेगी। वापसी दिशा में रेलगाड़ी 52447 शोगी से दोपहर 2.20 बजे प्रस्थान करके उसी दिन दोपहर 3.30 बजे शिमला पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में छ एग्जीक्यूटीव कुर्सीयान और एक एग्जीक्यूटीव कुर्सीयान सह एसएलआर के डिब्बे होंगे। इस धरोहर को बेहतर तरीके से संरक्षित किया गया है। यह रेलवे लाइन आज भी वैसी ही दिखाई देती है जैसी कि यह अपने निर्माण के पूरे होने के समय दिखती थी। इंजीनियरिंग ढांचे के अलावा इसके रेलवे स्टेशनए सिगनलिंग प्रणाली और इसका ग्रामीण प्रवेश व प्राकृतिक दृश्यावली भी लगभग अपरिवर्तित रही है। तकनीकी दक्षता के असाधारण कौशल की आवश्यकता के मद्देनजर इस रेल लाइन के नियमित उपयोग से हिमाचल के भू-भाग वाले क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव हुआ है। इस लाइन के चलते शिमला शहर का तीव्रता से विकास हुआ।

यूनेस्को ने 8 जुलाई 2008 को कालका- शिमला रेलवे को भारत की पर्वतीय रेलों की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इस का एक तरफ का किराया 260 रूपये और दोनों तरफ का किराया 520 रूपये होगा।

महिला सशक्तिकरण

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षाकर्मी पराक्रम वाहन के साथ सुरक्षा के लिए मुस्तैद। पराक्रम वाहन में चालक से लेकर कमांडो तक सभी महिलाएं हैं।

निर्माण कार्य के कारण पाठकों को हो रही असुविधा

नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेले में बृहस्पतिवार को भी लोगों में उत्साह और किताबें खरीदने की लालसा देखने को मिली लेकिन प्रगति मैदान में चल रहे निर्माण कार्य के कारण इस बार पाठकों और प्रकाशकों में असुविधा देखने को मिल रही है। पॉनीटेल बुक के पब्लिशर प्रणव के.सिंह ने बताया कि इस बार चल रहे निर्माण कार्य के कारण विश्व पुस्तक मेले में आने वालों को असुविधा हो रही है क्योंकि इस बार मेले में प्रवेश द्वार दो ही रखे गए हैं जबकि हर साल आठ-दस प्रवेश द्वार हुआ करते थे। मेले में अंग्रेजी के किताबें ज्यादा बिक रही हैं। जबकि हिन्दी पाठकों की संख्या में कमी आई हैं।

तीन दिवसीय नेशनल स्ट्रीट फूड महोत्सव 12 जनवरी से

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में तीन दिवसीय नेशनल स्ट्रीट फूड का आयेजन 12 जनवरी से होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में अलग-अलग राज्यों से स्ट्रीट फूड वेंडर अपने राज्य के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया (एनएसवीआई) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 12 से 14 जनवरी तक चलेगा। इस बार में नेशनल फूड फेस्टिवल त्यौहारों और मंदिरों में बनने वाले भोजन एवं खाद्य पदार्थों का बाजार खास आकर्षण होंगे। इसमें देशभर के 20 लोकप्रिय स्ट्रीट फूड वेंडरों को बुलाया जा रहा है जो अपने विशेष स्ट्रीट फूड का स्टॉल लगाएंगे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को लोगों के बीच पहचान और सम्मान दिलाना है।'

हिन्दी भाषा के महत्व एवं उपयोगिता पर डाला प्रकाश

एजेंसी ■ नई दिल्ली

हिन्दी भाषा के प्रति अपनी आस्था एवं सम्मान प्रकट करते हुए अपने उद्गार व्यक्त करने हेतु बृहस्पतिवार को विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से विभिन्न लोगों ने हिन्दी भाषा के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए पूर्वकालीन लेखकों एवं कवियों द्वारा हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा। इस अवसर पर कृष्णास्वामी आर., कार्यवाहक निदेशक ने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से 'चाह नहीं में सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ', उपनिदेशक स्काउट (बालक कार्यक्रम) अमर बी. क्षेत्री ने 'जन-जन की भाषा है हिन्दी, भारत की आशा है हिन्दी', आनन्द कुमार, लेखाधिकारी ने 'हिंदुस्तानी है हम गर्व करो हिन्दी भाषा पर, उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है', संजय कुमार हर्ष, जन सम्पर्क अधिकारी ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता के अंश 'हारना तब आवश्यक हो जाता है, जब लड़ाई अपनों से हो', दीपक मेहरा, आपूर्ति सेवा अधिकारी ने 'मैंने लिखा कुछ भी नही तुमने पढा कुछ भी नहीं। जो लिखा दिल से लिखा इसके सिवा कुछ भी नहीं', राजेश दीक्षित ने कवि जयशंकर प्रसादजी द्वारा रचित कामायनी के अंश 'हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छाँह' का कविता पाठ किया गया। निरंजन साहू, सहायक अधीक्षक, एम.ए. खॉन एवं श्रीमती पिंकी कुमारी द्वारा भी सुन्दर हिन्दी कविताओं का वाचन किया गया।

वार्षिकोत्सव *दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के वार्षिकोत्सव सिम्फनी 2018 का हुआ आयोजन*

सिम्फनी : नकारात्मक प्रवृत्तियों पर सकारात्मकता की जीत

एजेंसी ■ नई दिल्ली

यदि मन में नया आत्मविश्वास हो, नई उर्जा हो, बेहतर करने की सोच हो, तो हर आयोजन एक नया संदेश देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के वार्षिकोत्सव 'सिम्फनी 2018' में यही देखने को मिला। कॉलेज के प्रोफेसर ने जहां बेहतर खाका तैयार किया, तो उर्जावान छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन के दौरान जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज प्राचार्या डॉ. स्वाति पॉल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सिम्फनी सभी नकारात्मक प्रवृतियों पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक। उन्होंने कहा कि जीवन में सकारात्मकता जरूरी है। हम बेहतर करने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं और मुझे खुशी है कि मेरे अपने कॉलेज के लोग सदा ही मेरे साथ होते हैं। इससे पूर्व सिम्फनी 2018 में कॉलेज स्टाफ एडवाइजर डॉ. संगीता गुप्ता और डॉ. पूनम यादव ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगान गाया गया। कॉलेज छात्र संघ की अध्यक्ष पायल ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों सहित सभी का स्वागत किया। मुख्य अतिथियों सहित कॉलेज प्राचार्या , स्टाफ एडवाइजर और सभी विभाग के अध्यक्षों ने ज्योति प्रज्जवलित कर तीन दिवसीय सिम्फनी 2018 कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कॉलेज का प्रार्थना गीत गाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मिस विद्या राव ने भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की सराहना करते हुए अपने आप को भाग्यशाली माना कि उन्होंने भारत वर्ष में जन्म लिया है। अभय सोपोरी ने भारतीय भाषा, साहित्य, संगीत, संस्कृति की विविधता को भारत की खूबसूरती कहा और उन्होंने भारतीय संगीत, संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, भाईचारे की मंगल कामना की। डॉ. शालिनी बक्शी ने कॉलेज छात्राओं का आह्वान किया कि वह सिम्फनी जैसे प्लेटफार्म का लाभ उठाएं और इस में आगे आकर हिस्सा लें। इसके बाद कॉलेज की डांस सोसाइटी नृत्या और नूपुर की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। कॉलेज स्टाफ एडवाइजर डॉ. संगीता गुप्ता ने कॉलेज वार्षिकोत्सव का शानदार शुभारम्भ कराने वाली सभी छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों का धन्यवाद किया।

छात्राओं का नृत्य देख दर्शक हुए भाव-विभोर

इस मौके पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृति कार्यक्रमों को देखकर सभी ने छात्रों की प्रतिभा की तारीफ की तथा आने वाले समय में ऊंचे आयाम पर पहुंचने की कामना की। जिस प्रकार से छात्राओं ने अपनी प्रतिभा प्रकट की है उससे देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़कियों में किस प्रकार से इस वार्षिकोत्सव के लिए उत्साह उमड़ रहा था जिसके लिए वे काफी पहले से प्रयास कर रही थी ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न हो।

वर्गीकृत विज्ञापन

PUBLIC NOTICE
My client SHIV KUMAR AND HIS WIFE SEEMA KUMARI BOTH R/O C-146, BLOCK-C, BEHAIND WATER TANK, SECTOR-1, ROHINI DELHI, HAVE DEBARRED THEIR SON HARISH KUMAR & HIS WIFE PREMA KUMARI, FROM THEIR ALL MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTIES AND SEVERED ALL THEIR RELATIONS DUE TO MISCONDUCT & ILLEGAL ACTIVITIES. ANYBODY DEALING WITH THEM SHALL BEAR AT HIS OWN COST, RISK & CONSEQUENCES.
AJAY ANAND, Advocate
Ch. No. 05, Lawyers Chamber, Ground Floor, Rohini Courts, Delhi

NAME CHANGE
I, Mohd. Rizwan S/o Nawab Husain R/o B-6, Type-III, Quaters Police Colony, Mandawali, Delhi-92. That I have changed my daughter name from Kashfiya Zainab to Hiba Zainab That I hereby declare both the name i.e. Kashfiya Zainab and Hiba Zainab is one and the same person. That she will be known by this name i.e. Hiba Zainab for all purposes. That all the facts are correct and nothing has been concelled therein.

PUBLIC NOTICE
I, MIRA DEVI W/O SHRI VIKRAM KUMAR R/O HOUSE NO. 8, V&P MAKANPUR, DISTT. NAWADA, BIHAR. That my actual & correct name is **MIRA DEVI.** That I declare of my name as **PINKI** and **MIRA DEVI** is one and the same person. That i am holding **LIC No.116762070** which on my name was mentioned by **PINKI.** That in future my name will be known as **MIRA DEVI** for all purpose.

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्किल हामिद अली पुत्र नासिर अली, निवासी मकान नं. 412, गली नं.6, राजीव गांधी नगर, न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली-110094 ने अपने पुत्र आकिल अली उर्फ माजिद एवम उसकी पत्नी शगुफ्ता जो कि मेरे मुवक्किल के उपरोक्त मकान से अलग रहे रहे हैं, को उनके दुर्व्यवहारवश व नियंत्रण में न होने की वजह से समस्त सम्बन्ध-विच्छेद करके अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। इनके किसी भी कृत्य हेतु मेरे मुवक्किल व उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तथा जो भी इनसे वास्ता रखेगा, वह उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी।
ऐजाज अहमद, एडवोकेट
चैं. नं. 171, ब्लॉक-2, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE
It is to inform to the general public that my client Sh. Shiv Kumar Goswami S/o Late Sh. Nihal Chand Goswami and his wife Smt. Sudhershan Mala, R/o 5551 Jawahar Nagar, Subzi Mendi, New Chandrawal, Malka Gang, Delhi-110007 have disowned and debarred their son namely Saurabh Goswami from their all movable and immovable properties. My clients namely Sh. Shiv Kumar Goswami, Smt. Sudershan Goswami, Gaurav Goswami, and Smt. Shweta Bokolia shall not be responsible for any act of the above said in future, if any person dealing with them shall do at his/her/their own risk.
ANKIT SHARMA, Advocate
Ch. No. 122, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE
Be it known to the general public at large on behalf of my clients Shri Ram Avatar Vinayak S/o Late Sh. Bal Mukand Vinayak and Smt. Suman Vinayak W/o Shri Ram Avatar Vinayak, both R/o. House No. - 104, Bhoomi Park, Phase-5, Malwani, Malad West, Mumbai, Maharashtra that my aforesaid clients have disowned and disinherited their son Shri Megh Vinayak and Daughter-in-law Smt. Taruna Makhija ,her daughter Khushi Vinayak from their all moveable and immovable properties. In case anybody deal with them, he/she/they shall do the same at his/her/their own risks, costs and consequences and my above named clients shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.
Kunal Mittal, Advocate
21/43, Shakti Nagar, Delhi-07

PUBLIC NOTICE
This is to inform the General Public at large that our client, of Mrs. Hem Lata & Mr. Ravindra Kumar owner of Property no. admeasuring 72 Sq. Yds., Khewat Khata no. 147/158 Rect / Khasra no. 126, Hans Enclave , Nahapur Rupa , Gurgaon vide Sale Deed dated 25.10.2017 as Doc no. 8447 And the said property is being mortgaged with Magma Housing Finance /Magma Fincorp Limited 8, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi. Hence this notice is hereby given that any person, bank/s or Financial Institution/s, or any party/ies, having any claim, charge, interest, title, demand, rights, of whatsoever nature in respect of or against the said property by way of inheritance, share, transfer, mortgage, possession, howsoever nature, are hereby required to make the same known in writing with documentary support to the undersigned within 7 days from the date of publication, failing which the said claim of such person/s, if any will be considered as waived and settled and not binding upon my client.
Mr. Samir Kumar/ Mr. Lalit Kumar, Advocates
M/s. Excel Law Group
87-D, 3rd & 4th Floor, Pocket-2, Sector-6, Dwarka, New Delhi

सार्वजनिक सूचना
मैं दिलबाग सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह निवासी गांव बाकर गढ, दिल्ली-110073, शपथपूर्वक और सत्यनिष्ठा से ब्यान करता हूँ कि मैंने अपने पुत्र जसबीर सिंह और उसकी पत्नी रेनू को उनके गलत आचरण और दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी संबंध विच्छेद करता हूँ और अपनी समस्त चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ और अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से मेरे पुत्र और पुत्रवधू से किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार या लेन-देन करता है तो उसके लिए वह स्वंय ही जिम्मेदार होंगा।
शपथकर्ता

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल हवा सिंह पुत्र स्व0 श्री करतार सिंह निवासी-म.नं.-14, गांव हौलम्बी खुर्द, दिल्ली ने अपने पुत्र सुमित व पुत्रवधू सरिता को उनके गलत आचरणों के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा अपने सभी रिश्ते-नाते विच्छेद कर लिये है। यदि मेरे मुवक्किल के पुत्र एवं पुत्रवधू से कोई व्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वंय जिम्मेदार होगा।
एस.पी. मिश्रा, अधिवक्ता
Chamber 73, Saket Courts, Complex, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE
My client Satish Chauhan S/o Late Dr. Shri Ram Chauhan R/o P-2/653, Sultanpuri, Delhi-110086, has severed all his relations and disowned and debarred his son Kamal Chauhan from his all movable-immovable properties due to his hostile nature towards my client. If anybody deals with him shall do so at his/her own risk and responsibility.
DEEPAK CHAUHAN, Advocate
P-1/287, SULTANPURI, DELHI-86

NAME CHANGE
MY CLIENT SMT YOGESH KUMARI W/0 SH. SATISH CHAUHAN P-2/653, 654, SULTAN PURI DELHI-110086 HAVE CHANGED HER NAME TO YOGESH CHAUHAN W/O SH SATISH CHAUHAN P-2/653, 654, SULTAN PURI DELHI -110086 FROM TODAY.
DEEPAK CHAUHAN, Advocate
DELHI HIGH COURT
P-1/287, SULTANPURI, DELHI-86

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्किल ''अशोक कुमार'' सपुत्र स्व. तेजसिंह - निवासी म. न. ए-27- गली न. 2 उत्तरी छज्जुपुर, दिल्ली-94 ने अपनी पुत्री ''सोनिया'' के अशोभनीय व्यवहार, अनाज्ञाकारी होने के कारण उससे पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद करके उसे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में ''सोनिया'' से किसी प्रकार का लेनदेन (व्यवहार) करने वाला स्वयं जिम्मेवार होगा मेरा मुवक्किल (सपरिवार) नही।
पवन चौधरी, एडवोकेट
D-2235/2004

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण श्री विमल कुमार महतो पुत्र श्री राजा महतो एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावती देवी, दोनों निवासीगण बी-192, अर्जुन पार्क, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 ने अपने बड़े पुत्र बीरबल कुमार व पुत्रवधु रीना, पौत्र वीर को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिये हैं और उपरोक्त सभी से अपने समस्त संबंध विच्छेद कर लिये हैं, क्योंकि ये सब मेरे मुवक्किलगण के नियंत्रण में नही हैं। भविष्य में मेरे मुवक्किलगण इनके किसी भी नैतिक एवं अनैतिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। वे अपने हर कार्यों, लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
R.S. Thakur, Advocate
Ch. 752, Lawyer's Chamber, Dwarka Court Complex, Sector-10, Dwarka, New Delhi-75

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे मुवक्किल श्री राजकुमार वैद्य पुत्र श्री बंसीलाल वैद्य एवं श्रीमती प्रेम रानी पत्नी श्री राजकुमार वैद्य, निवासीगण मकान नं0 12/10, साकेत ब्लॉक, मण्डावली फाजलपुर, पूर्वी दिल्ली वर्तमान निवासीगण मकान नं0 147, गली नं0 5, न्यू लाहौर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052, ने अपने पुत्र गौरव वैद्य पुत्र श्री राजकुमार वैद्य एवं पुत्रवधू श्रीमती रचना पत्नी श्री गौरव वैद्य, पुत्री श्री मनमोहन किशन, निवासीगण मकान नं0 358/1ए-बी, कृष्णा पुरी, मण्डावली फाजलपुर, दिल्ली को उसके अनैतिक कार्यों, कुकृत्यों, नाजायज धमकियां देने, मारपीट करने व बदतमीजी करने, जैसे कृत्यों से दुःखी होकर एवं नियन्त्रण से बाहर होने के कारण तथा जान की हिफाजत हेतु, उनको अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करके इनसे अपने सभी पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं और आज की तारीख से भविष्य में कभी उपरोक्त गौरव वैद्य एवं श्रीमती रचना से हमारे मुविक्कल व उसके परिवजनों का कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं रहेगा और इनके द्वारा किये गये किसी भी तरह के अच्छे-बुरे कार्यों के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें। अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त गौरव वैद्य एवं श्रीमती रचना से किसी भी तरह का लेन-देन या व्यवहार करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। उसके लिए हमारे मुविक्कल या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
रतन त्यागी एवं देवेन्द्र सिंह राघव, एडवोकेट
चैम्बर नं0 बी-36, बी0जी0एस0 ब्लॉक, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54